नारियल विकास बोर्ड
नागरिक प्राधिकार

विशन

देश में नारियल की खेती और उद्योग के एकीकृत विकास ताकि नारियल की अर्थव्यवस्था को सुस्थिर और वैश्विक तौर पर प्रतियोगिताक्षम बना सके।

मिशन

नारियल बागों का एकीकृत विकास, पुनरुज्जीवन एवं पुनर्रोपण और नारियल प्रौद्योगिकी मिशन, निर्यात संवर्धन गतिविधियाँ आदि संबंधी विविध परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन द्वारा विभिन्न राज्य सरकारी विभागों और अन्य एजेंसियों की सहायता से नारियल के लिए लक्षित उत्पादन और उत्पादकता हासिल करना।

लक्ष्य

1.पूरी तरह रोगग्रस्त पुराने अनुत्पादक पेडों को काट निकालना, प्रोत्साहन सहित वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों का प्रदर्शन, जैव खेती को बढ़ावा देना, फार्म स्तरीय प्रक्रमण आदि जैसे एकीकृत प्रणालियों के द्वारा नारियल जोतों की उत्पादकता में सुधार लाना।

2.देश में नारियल उत्पादन संभाव्यता सुधारने के लिए इसके अधीन अतिरिक्त क्षेत्र लाना।

3.संकर किस्म सहित गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों का उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देना।

4.वित्तीय सहायता देते हुए प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रदर्शन और प्रचार के ज़रिए उत्पाद विविधीकरण, मूल्य वर्धन और अवसंरचना विकास।

5.प्रचार और विस्तार गतिविधियाँ, मल्टीमीडिया अभियान, संगोष्ठियाँ आदि द्वारा सूचना प्रचार।

6.नारियल और नारियल उत्पादों के घरेलू एवं निर्यात संबंधी आंकड़ों का संचयन, संकलन और विश्लेषण द्वारा बाज़ार सूचना प्रणाली का विकास और प्रकाशनों एवं वेबसाइट के ज़रिए प्रचार।

7.संगठनों की अवसंरचनात्मक सुविधाएं और प्रशासनिक कुशलता सुधारना।

नारियल विकास बोर्ड के प्रकार्य

यह बोर्ड का दायित्व रहेगा कि ऐसे उपाय, जो कि यथोचित लगे, को बढ़ावा देकर केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन नारियल उद्योग का विकास करना।

उप खंड 1 के प्रावधानों की सामान्य बातों पर पूर्वधारणा लगाए बिना इसमें जिक्र की गई युक्तियाँ निम्नलिखित की व्यवस्था करती हैं-

(क) नारियल उद्योग के विकास हेतु उपाय अपनाना ताकि किसान, विशेषतया छोटे किसान नारियल उद्योग के विकास एवं वृद्धि में भागीदार और इसका लाभभोगी बन सके;

(ख) भारत में नारियल और इसके उत्पादों के विपणन में सुधार लाने के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(ग) किसी भी व्यक्ति को, जो नारियल की खेती या नारियल तथा उत्पादों के संसाधन या विपणन में लगा हुआ है तकनीकी सलाह देना;

(घ) नारियल उद्योग की वृद्धि में गति लाने के उद्देश्य से अधिक उपज देने वाले नारियल संकरों का विकास, नारियल खेती की उन्नत प्रणालियों का अंगीकरण, नारियल के संसाधन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और नारियल की खेती(पुनर्रोपण सहित) के अधीन क्षेत्र विस्तार के लिए वित्तीय या अन्य सहायता देना;

(ङ) नारियल कृषकों को बेहतर मूल्य मिलने के लिए ऐसे उपाय अपनाना जो व्यवहार्य हों; नारियल और उसके उत्पादों के लिए जब कभी आवश्यक हो, निम्नतम व अधिकतम भावों की सिफारिश करना भी इसमें शामिल है।

(च) नारियल और इसके उत्पादों के आयात और निर्यात के नियमन हेतु उपायों की संस्तुति देना;

(छ) नारियल कृषकों, नारियल व्यापारियों, नारियल उत्पादों के निर्माताओं से और यथा निर्धारित ऐसे अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं से नारियल उद्योग से जुडे किसी भी विषय पर आंकड़े इकट्ठा करना और ऐसे इकट्ठे किए गए आंकड़े या उसका किसी भाग या निष्कर्ष प्रकाशित करना;

(ज) नारियल और इसके उत्पादों के लिए श्रेणी, विनिर्देश और मानक निर्धारित करना;

(झ) केंद्र सरकार एवं उन राज्य सरकारों से जहाँ बड़े पैमाने पर नारियल की खेती की जाती है, परामर्श करके उपयुक्त योजनाओं को वित्तपोषित करना ताकि नारियल का उत्पादन बढ़ाया जा सके और इसकी गुणवत्ता एवं पैदावार में सुधार कर सके; और इसके लिए नारियल कृषकों और उसके उत्पादों के निर्माताओं को पुरस्कार या प्रोत्साहन देने तथा नारिलय एवं उसके उत्पादों के लिए विपणन सुविधाएं देने हेतु योजनाएं तैयार करना;

(ञ) उपलब्ध संस्थाओं के सहयोग से बोर्ड जैसा उचित समझे वैसे नारियल और उसके उत्पादों पर कृषीय, प्रौद्योगिकीय, औद्योगिक और आर्थिक अनुसंधान के लिए सहायता देना, प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना या अर्थप्रबंध करना;

(ट) जैसे आवश्यक समझे नारियल और उसके उत्पादों के अनुसंधान और विकास का प्रचार कार्य करना तथा पत्रिकाओं, पुस्तकों या बुलेटिनों का प्रकाशन करना;

(ठ) नारियल उत्पादक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में बोर्ड के प्रकार्यों और लक्ष्यों के सफल निष्पादन के लिए नारियल और उसके उत्पादों के उत्पादन, श्रेणीकरण और विपणन को बढ़ावा देने और विकसित करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय और अन्य एजेंसियाँ स्थापित करना;

(ड) नारियल विकास बोर्ड के अधिनियम के प्रयोजनों के मद्देनज़र, उन राज्य सरकारों से जहाँ नारियल की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, परामर्श करके केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य उपाय अपनाना।

अधिदेश

नारियल विकास बोर्ड सांविधिक निकाय है जो देश में नारियल के उत्पादन और उपयोग के एकीकृत विकास हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित है और उत्पादकता की वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण पर ज़ोर देता है। बोर्ड 12 जनवरी 1981 को स्थापित हुआ और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। इसका मुख्यालय केरल के कोची में है और क्षेत्रीय कार्यालय कर्नाटक के बैंगलूर, तमिलनाडु के चेन्नै एवं असम की गुवाहटी में है। बोर्ड के छह राज्य केन्द्र हैं जो ओडिशा के भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बिहार के पटना, महाराष्ट्र के ठाणे, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और संघ शासित क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। देश के विविध भागों में बोर्ड के 9 प्रदर्शन सह बीज उत्पादन फार्म हैं और अब 9 फार्मों का रख-रखाव किया जाता है। दिल्ली में बाज़ार विकास सह सूचना केन्द्र स्थापित है। बोर्ड ने केरल में आलुवा के पास वाषक्कुलम में प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की भी स्थापना की है।

प्रमुख क्षेत्र

- गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाना।
- नारियल के अधीन अधिकाधिक क्षेत्र लाकर उसकी भावी उत्पादन क्षमता सृजित करना।
- वर्तमान नारियल जोतों की उत्पादकता सुधारना
- मुख्य कीटों और रोगों का एकीकृत प्रबंधन
- उत्पाद विविधीकरण और उपोत्पाद उपयोगिता को बढ़ावा देकर नारियल उद्योग को मज़बूत करना

पुस्तकालय सेवाएं

1. उधार सेवा
2. अंतर पुस्तकालय उधार

3. संदर्भ सेवा
4. सामयिक सूचना सेवा
5. रेप्रोग्राफिक सेवा

प्रौद्योगिकी

नारियल विकास बोर्ड भारत में नारियल प्रौद्योगिकी विकसित करने की अग्रणी संस्था है।

1. परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करना और परियोजना की व्यवहार्यता की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना।
2. नारियल आधारित उत्पादों की तकनीकी जानकारी प्रदान करना, जैसे

- स्प्रे ड्राइड नारियल दूध पाउडर
- डाब पानी का पैकेजिंग और परिरक्षण
- नारियल पानी आधारित सिरका
- नम-संसाधित नारियल तेल
- वर्जिन नारियल तेल

3. नारियल आधारित इकाइयाँ स्थापित करने के लिए उद्यमियों को तकनीकी मार्गदर्शन देना।

गुणवत्ता परीक्षण संयंत्र

एरणाकुलम के आलुवा में, वाषक्कुलम स्थित बोर्ड के प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र में खोपड़ा, नारियल तेल व सिरके के रासायनिक विश्लेषण की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, वाषक्कुलम में

कार्यक्रम के उद्देश्य

- नारियल आधारित सुविधाजनक खाद्य पदार्थों व उत्पादों के विविध नुस्खों की भारी संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
- प्रशिक्षण कुशलता, उद्यमिता विकास तथा नेतृत्व गुण विकसित करना एवं विपणन के उपायों की सूचना देना।
- भागीदारों को खाद्य प्रक्रमण उद्योगों में व्यवहृत गुणवत्ता नियंत्रण उपायों एवं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों से परिचित कराना।
- सुविधाजनक नारियल खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु विभिन्न पैकेजिंग प्रणालियों की जानकारी देना।

विषय क्षेत्र

- प्रशिक्षण कार्यक्रम पर परिचय सत्र

- उत्पादों से परिचित कराना
- उत्पादों का निदर्शन
- व्यावहारिक प्रशिक्षण
- गुणवत्ता मानक और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियाँ
- पैकेजिंग और परिरक्षण तकनीक
- विपणन की रणनीतियाँ
- आवृत्ति सत्र

जिन जिन उत्पादों पर प्रशिक्षण देता है (चार दिवस)

(निदर्शन व प्रशिक्षण) नारियल चिप्स, नारियल कुकीज़, लेमनेड, तीयल मिक्स, नारियल दूध टोफी, नारियल कैंडी, नारियल चाकलेट, नारियल अचार और स्नोबोल डाब।

जिन जिन उत्पादों पर प्रशिक्षण देता है (एक दिवस)

(मात्र निदर्शन) नारियल चिप्स, नारियल कुकीज़, नारियल लेमनेड व नारियल कैंडी

जिन जिन उत्पादों पर प्रशिक्षण देता है (दो दिवस)

(प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सह प्रशिक्षण) नारियल सिरका

कार्यक्रम

प्रस्तुत कार्यक्रम नारियल आधारित सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के निर्माण शुरू करने के लिए इच्छुक स्वयं सहायता समूहों /महिला समूहों/ समितियों/ उद्यमियों के लिए लक्षित है।

स्थान

प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, नारियल विकास बोर्ड, कीनपुरम, दक्षिण वाषक्कुलम, आलुवा -683105, केरल, दूरभाषः 0484-2679680 (आलुवा से 10 कि.मी. की दूरी पर (आलुवा-पेरुंबावूर प्राइवट बस रूट पर)

अवधि : एक से चार दिवस, कुल सीटः प्रत्येक बैच में 10-12 व्यक्ति

शुल्क

चार दिवसीय कार्यक्रम के लिए प्रति भागीदार 450 रुपए, एक दिवसीय कार्यक्रम के लिए प्रति भागीदार 125 रुपए और नारियल सिरके पर दो दिवसीय कार्यक्रम के लिए प्रति व्यक्ति या इकाई (अधिकतम 3 नामित व्यक्ति) 1000 रुपए। प्रस्तुत शुल्क के अंतर्गत व्याख्यान सत्र, पाठ्यक्रम सामग्रियाँ, भोजन, चाय-पान तथा संस्थागत सुविधाएँ सम्मिलित हैं।

पंजीकरण

भागीदारों से अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में पंजीकरण करें, साथ में नारियल विकास बोर्ड के नाम आलुवा में देय निर्धारित शुल्क का डिमांड ड्रैफ्ट भी भेजें।

मूल्यांकन

प्रशिक्षार्थी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा और प्रमाणपत्र के साथ ग्रेड भी दिया जाएगा।

निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में अधिसूचित नारियल विकास बोर्ड

यह सूचित किया जाता है कि वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने सार्वजनिक सूचना सं. 169(आरई-2008)/2004-2009, नई दिल्ली दिनांक 1 अप्रैल 2009 के अनुसार नारियल विकास बोर्ड को नारियल छिलका और रेशे को छोड़कर अन्य सभी नारियल उत्पादों के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईपीसी) के रूप में अधिसूचित किया है। नारियल और नारियल उत्पादों की बड़ी मात्रा में विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों से पंजीकरण करके देश से निर्यात कर रहे हैं। उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसरण में नारियल उत्पादों जैसे डाब, डाब पानी, डिब्बाबंद डाब पानी, नाटा-डि-कोको, नारियल पानी आधारित सिरका, नारियल पानी का शीतल पेय/पेय, कच्चे नारियल, शोषित नारियल पाउडर, दूध पाउडर, नारियल दूध/क्रीम, नारियल तेल, सूखे नारियल, गोल खोपड़ा, नारियल चिप्स, कद्दूकस नारियल, नारियल चटनी पाउडर, औषधीय नारियल तेल, नारियल तेल आधारित केश/मालिश तेल, वर्जिन नारियल तेल, नारियल आधारित सुविधाजनक खाद्य पदार्थ, नारियल खोपड़ी, नारियल खोपड़ी पाउडर, नारियल खोपड़ी कोयला, नारियल खोपड़ी आधारित सक्रियित कार्बन, नारियल खोपड़ी और नारियल पेड़ के हिस्सों से निर्मित हस्तशिल्प, नारियल लकड़ी के फर्नीचर आदि नारियल विकास बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है जो अब निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में अधिसूचित हैं। निर्यात के लिए संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद के आरसीएमसी अनिवार्य है, दूसरे इसलिए निर्यातकों को विदेश व्यापार नीति और राजस्व विभाग के कर निष्प्रभावीकरण योजनाओं के तहत विभिन्न लाभ उठाने हेतु, यह अनुरोध किया जाता है कि निर्यातक/नारियल उत्पादों के भावी निर्यातक (नारियल छिलका और रेशे से बने उत्पादों को छोड़कर) तुरंत ही नारियल विकास बोर्ड के साथ पंजीकृत करें।

बोर्ड की योजनाएं

रोपण सामग्रियों का उत्पादन और वितरण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित संघटक कार्यक्रमों के ज़रिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों का उत्पादन और वितरण बढ़ाना है। देश के विविध भागों में

गुणवत्तापूर्ण बीजफलों के उत्पादन को लक्ष्य करते हुए कुल 321 हेक्टर क्षेत्र में 9 प्रदर्शन सह बीज उत्पादन फार्मों की स्थापना की है। ये फार्म वैज्ञानिक नारियल खेती और प्रक्रमण के प्रदर्शन केन्द्र हैं। प्रत्येक क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त वांछित किस्मों के गुणवत्तापूर्ण पौधों के उत्पादन के उद्देश्य से प्रबीउ फार्मों से संलग्न नारियल नर्सरियों की स्थापना की है। यथोचित दामों पर कृषकों को उगाए बीजपौधे वितरित किए जाते हैं। पंजीकृत/निजी/अनुमोदित नारियल नर्सरियों को सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता उत्पादन की लागत के 25 प्रतिशत या अधिकतम दो लाख रुपए तक सीमित है। 25 सेंट से प्रति वर्ष 6250 पौधों के उत्पादन के लिए न्यूनतम वित्तीय सहायता 50,000 रुपए और एक एकड़ से 25000 पौधों के उत्पादन के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता 2 लाख रुपए दी जाती है। राज्य सरकार के नर्सरी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय नारियल नर्सतिरयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जती है। अपारंपरिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय नारियल नर्सरी की स्थापना के लिए उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम वित्तीय सहायता दी जाती है। निजी क्षेत्र/पंजीकृत/सहकारी समितियों/कृषक संघों में न्यूक्लियस बीज बाग की स्थापना केलिए सहायता दी जाती है। बीज बाग की स्थापना के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता तीन वर्षों केलिए 6 लाख रुपए तक सीमित है और पहले वर्ष में 3 लाख रुपए तथा दूसरे और तीसरे साल में 1.50 लाख रुपए की दर पर दी जाएगी। वित्तीय सहायता की राशि बीज बाग के कुल क्षेत्र (अधिकतम 4 हेक्टयर) के आधार पर या न्यूक्लियस बीज बाग की स्थापना लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित होगी।

नारियल के अधीन क्षेत्र विस्तार

इस कार्यक्रम का उद्देश्य संभावित क्षेत्रों में नारियल के अधीन अधिकाधिक क्षेत्र लाकर देश में नारियल उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिए, लघु और सीमांत कृषकों को नारियल के पौद लगाने और उसके रख-रखाव के लिए प्रोत्साहन सहायता दी जाती है। नए रोपण के लिए सहायता प्रति हेक्टर 8000 रुपए की दर पर दी जाती है, जो दो बराबर वार्षिक किस्तों में वितरित की जाती है।

प्रस्तुत कार्यक्रम विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कृषि/बागवानी विभाग के ज़रिए बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र, राज्य सरकार के विभिन्न कार्यान्वयन करने वाले कार्यालयों को दिए जाते हैं जो योग्य कृषकों को वितरित किए जाते हैं। कृषकों द्वारा भरे गए आवेदन पत्र समुचित क्षेत्र जाँच के पश्चात संबंधित कार्यान्वयन अधिकारी की सिफारिश सहित आगे की कार्रवाई और सब्सिडी की मंजूरी हेतु बोर्ड कार्यालय को अग्रेषित किए जाते हैं। आवेदन की संवीक्षा के बाद बोर्ड समुचित सब्सिडी की मंजूरी देता है और कार्यान्वयन करने वाले उन्हीं कार्यालयों द्वारा वैयक्तिक चेक/डिमांड ड्रैफ्ट के रूप में कृषकों को राशि वितरित करता है।

उत्पादकता सुधार हेतु एकीकृत खेती

इस कार्यक्रम का उद्देश्य एकीकृत प्रणाली के ज़रिए नारियल बागों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना और तद्वारा निम्नलिखित संघटक योजनाओं के ज़रिए इकाई बागों की कुल आय बढ़ाना है।

निदर्शन प्लॉटों की स्थापना

रोग प्रकोपित बागों में एकीकृत प्रबंधन प्रणालियाँ अपनाने हेतु प्रति हेक्टर 35,000 रुपए की वित्तीय सहायता दो वार्षिक किस्तों में दी जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को, रोगप्रकोपित नारियल बागों के प्रबंधन हेतु विकसित की गई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रस्तुत निदर्शन प्लॉट फलोन्मुख उत्पादन प्रौद्योगिकियाँ अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करने में सहायक होंगे।

<u>उत्पादकता सुधार हेतु क्लस्टर आधार पर एकीकृत खेती:</u> नारियल क्लस्टर का उद्देश्य कृषक सहभागिता से उचित और सामयिक कृषि रीतियाँ अपनाकर इकाई बागों से नारियल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है। यह कार्यक्रम उपयुक्त नारियल आधारित कृषि प्रणालियाँ अपनाने में सहायक होगा और मूल्य वर्धन के लिए सामूहिक आधार पर फार्म स्तरीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा। व्यक्तिगत खेतों के आकार पर ध्यान दिए बिना 25-50 हेक्टर के सटे रहने वाले क्षेत्र में क्लस्टर आधार पर बोर्ड द्वारा प्रस्तुत योजना कार्यान्वित की जा रही है। क्लस्टर का चयन निदर्शन मूल्य, आसानी से प्राप्यता, औसतन प्रबंधन प्रणालियाँ अपनाने हेतु न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, ग्रुप की सहयोगिता और सबसे प्रमुख बात बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उत्तरदायित्वों को निभाने में तथा कृषक सहभागिता से कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में कृषकों की तत्परता आदि के अधार पर किया जाता है।

जैव खाद इकाइयों के लिए सहायता

नारियल बागानों में केंचुआ खाद, कयरगूदा खाद, साधारण खाद और अहाता खाद आदि के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। जैव खाद इकाई स्थापित करने हेतु प्रति इकाई 20000 रुपए की या उत्पादन लागत के 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता दी जाती है।

प्रौद्योगिकी निदर्शन

- पायलट परीक्षण संयंत्र और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का रख-रखाव
- उत्पाद विविधीकरण और उपोत्पाद उपयोगिता पर प्रौद्योगिक-आर्थिक अध्ययन
- उत्पादन, प्रक्रमण और विपणन पर परामर्शकारी सेवा
- सुविधाजनक खाद्य पदार्थों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

बाज़ार संवर्धन एवं सांख्यिकी

- बाज़ार सूचना और आसूचना सेवा
- बेहतरीन खोपड़ा शुष्ककों/अन्य प्रक्रमण मशीनों/उपस्करों का प्रयोग करके नारियल प्रक्रमण का आधुनिकीकरण जिसके लिए शुष्ककों/उपस्करों की लागता का 25 प्रतिशत की दर पर या अधिकतम 10,000 रुपए जो भी कम हो वित्तीय सहायता दी जाती है।

नारियल पेड़ बीमा योजना (सीपीआईएस)

नारियल खेती में कई खतरों का सामना करना पड़ता है जैसे कि मैसम में आने वाले परिवतर्न, प्राकृतिक आपदाएं, कीट-रोगों का प्रकोप आदि और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राकृतिक आपदाओं या कीट प्रकोप से किसी क्षेत्र की नारियल खेती पूर्णतया नष्ट हो जाती है। नारियल एक बहुवर्षी फसल है और इस फसल को हानि पहुँचने पर कृषकों को काफी अधिक नुकसान होता है अत: इस समस्या का निदान करना बहुत ज़रूरी है।

नारियल पेड़ बहुवर्षी फसल है, किंतु ताड़ वृक्षों में फलन और पैदावार आवर्ती होती है अत: मौसमीय वार्षिक फसलों से समानता रखता है, तदनुसार बीमा परिरक्षा के लिए यह भी योग्य है। नारियल की खेती वर्षा पर निर्भर होती है और जीवीय एवं अजीवीय दबावों के प्रति संवेदनशील होती है, अत:यह अत्यंत आवश्यक है कि नारियल पेड़ों का बीमा कराके नारियल कृषकों के खास तौर पर छोटे एवं सीमाँत किसानों के खतरों को कम करें।

2. उद्देश्य

क) प्राकृतिक तथा अन्य खतरों से सुरक्षा हेतु नारियल कृषकों को नारियल पेड़ों के बीमा करवाने के लिए सहायता।

ख) पेड़ों की अचानक मृत्यु होने के कारण आय में नुकसान होने वाले कृषकों को समय पर राहत दिलाना।

ग) नारियल खेती लाभकर बनाने के लिए पुनर्रोपण एवं पुनरुज्जीवन कार्य को बढ़ावा देना और खतरा कम करना।

3. प्रयोजनीयता

सीपीआईएस स्वस्थ फलदायी सभी नारियल पेड़ों के लिए लागू होगा, एकल या अंतराफसल के रूप में खेतों के मेंडों पर या वासस्थानों पर उगाते लंबी, बौनी और संकर सहित सभी किस्मों के नारियल पेड़ों को बीमा सुरक्षा मिलेगी। बौनी एवं संकर किस्मों में रोपाई के चौथे वर्ष से फलन शुरू होते हैं, अत: इन किस्मों के नारियल पेड़ों को 4-60 वर्ष की आयु तक बीमा सुरक्षा मिलेगी, किंतु लंबी किस्म के नारियल पेड़ो को 7-60 वर्ष की आयु से सुरक्षा मिलेगी। कमज़ोर और बूढ़े पेड़ों को सुरक्षा नहीं मिलेगी।

4. योग्यता मानदंड

इस योजना के अनुसार नारियल किसान/ उत्पादक जिनके सटे हुए क्षेत्र/ज़मीन पर निर्दिष्ट आयु के (बौने, संकर पेड़ों के लिए 4-60 वर्ष एवं लंबे पेड़ों के लिए 7-60 वर्ष) कम से कम 5 फलदायी स्वस्थ पेड़ हों, बीमा सुरक्षा के लिए योग्य हैं।

5. सुरक्षा की गुंजाइश

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए चुने गए क्षेत्रों/जिलों के बीमा योग्य आयु के सभी स्वस्थ पेड़ों को इसके अंतर्गत सुरक्षा मिलेगी। सटे हुए क्षेत्र के बागान का आंशिक रूप से बीमाकरण संभव नहीं है। बीमा सुरक्षा 4/7 से 60 वर्ष तक है और प्रीमियम एवं बीमित राशि तय करने के लिए दो आयु ग्रूपों में विभाजित किया गया है यानी 4-15 वर्ष तक और 16-60 वर्ष तक।

जिस किसान/ उत्पादक ने नारियल का बीमा करवाया है उसके द्वारा बीमा प्रस्ताव में आयु ग्रूपों के संबंध में स्वःघोषणा स्वीकार्य होगी। बीमा कंपनी, पोलिसी की अवधि समाप्त होने से पहले या दावा के भुगतान से पूर्व किसी भी वक्त, प्रामाणिकता का पता करने के लिए बीमित पेड़ों की जाँच करेगी। यदि बीमित व्यक्ति ने पेड़ की आयु या किसी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में गलत घोषणा दी है तो बीमा रद्द माना जाएगा।

बीमा कराने के इच्छुक किसान/उत्पादक सीधे बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों/प्राधिकृत एजेंटों से या कृषि/बागवानी विभाग के निकटस्थ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान/उत्पादक प्रीमियम सब्सिडी घटाकर शेष राशि नकद द्वारा या बीमा कंपनी के नाम चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा कर सकता है।

6.बीमित आकस्मिक घटनायें

पेड़ों की मृत्यु हो जाए या वह अनुत्पादक हो जाए तो पेड़ की पूर्ण क्षति के लिए बीमा पोलिसी की राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि पेड़ की मृत्यु तुरंत न हो जाती तो ऐसे मामलो में नारियल विकास बोर्ड/कृषि/बागवानी विभाग से पेड़ अनुत्पादक हो जाने का कारण साबित कते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। कोई पेड़ तभी अनुत्पादक घोषित किया जा सकता है जब उन खतरों के बाद पेड़ की बढ़वार रुक जाती है/पेड़ का पुनरुज्जीवन संभव न हो। लेकिन बीमा कराए व्यक्ति को उन्हीं पेड़ों को काट निकालना चाहिए या गिराना चाहिए। यदि किसान/उत्पादक अनुत्पादक पेड़ को काटना नहीं चाहता और वैसे ही रखना चाहता है तो बचाव मूल्य के तौर पर बीमा राशि के 50 प्रतिशत की दावे से कटौती की जाएगी। किसी भी मामले में यह सिद्ध करना ज़रूरी है कि पेड़ को उन्हीं खतरों से क्षति हुई है जिसके लिए पेड़ का बीमा कराया गया है।

7. सुरक्षा प्राप्त जोखिम

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित खतरों से पेड़ की मृत्यु/पेड़ अनुत्पादक हो जाने से सुरक्षा मिलेगी:

क) तूफान, ओला-वृष्टि, चक्रवात, टाइफून, बवंडर, भारी वर्षा

ख) बाढ़ और जल जमाव

ग) कीटों एवं रोगों के व्यापक प्रकोप से पेड़ की संपूर्ण क्षति हो जाना

घ) वन में आग लगना, झाड़ियों में आग लगना, बिजली गिरना आदि सहित आग की दुर्घटना

ड.) भूकंप, भूस्खलन व सुनामी

च) सूखा पड़ना और उससे होने वाली संपूर्ण हानि

8. अपवाद

पेड़ को हुई हानि 'फैंचाइस' शर्त के अंतर्गत है तो इस योजना के अधीन दावे के भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन खतरों के लिए बीमा किया गया है उसके बाहर के खतरों से पेड़ को पहुँचे नुकसान में बीमेदार द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के खर्च के भुगतान करने के लिए, इस पोलिसी के अधीन, बीमाकर्ता बाध्य नहीं होगा। निम्नलिखित मामलों में बीमा परिरक्षा नहीं मिलेगी:

क) चोरी, लड़ाई, हमला, सिविल युद्ध, बगावत, क्रांति, विद्रोह, दंगा, तालाबंदी, विद्वेषपूर्ण नुक्सान, साज़िश, सेना द्वारा/अनधिकृत सत्ता ग्रहण, नागरिकों द्वारा शोरगुल, जब्ती, विधित:/वस्तुत: किसी सरकारी आदेश से/ किसी सार्वजनिक/नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण/नुकसान/हानि तथा बिजली प्रसारण के सिलसिले में होने वाला नुकसान;

ख) अणु रिऐक्शन, अणु विकिरण या रेडियोएक्टिव संदूषण;

ग) हवाईयान या अन्य वस्तुओं के गिरने पर होने वाला नुकसान;

घ) जिस किसान ने बीमा करवाया है उनके द्वारा या उसके लिए कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा जानबूझकर लापरवाही;

ड.) मनुष्य, पक्षी या किसी पशु द्वारा नुकसान पहुंचाना;

च) पेड़ों का ठीक तरह से रख-रखाव न करना;

छ) पेड़ों का कमज़ोर या बूढ़ा हो जाना;

ज) स्वाभाविक रूप से पेड़ का मर जाना, जड़ों के कट जाने से पेड़ का उखाड़ना;

9. बीमा राशि व प्रीमियम

प्रति पेड़ 900 रुपए (4 से 15 आयु के) से 1750 रुपए (16 से 60 आयु के) तक बीमा राशि में अंतर होगी	प्रति पेड़ बीमा राशि (रुपए)	प्रति पेड़ प्रति वर्ष प्रीमियम (रुपए)
4 – 15	900.00	9.00
16 - 60	1,750	14.00

10. प्रीमियम सब्सिडी

उपरोक्त पैरा 9 में दी गई राशि में से 50 प्रतिशत नारियल विकास बोर्ड द्वारा और 25 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत किसान/ उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा। यदि राज्य सरकार प्रीमियम के 25 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं है तो किसानों/उत्पादकों को प्रीमियम के 50 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। यदि किसी किसान संगठन किसानों की ओर से प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो ऐसे संगठन भुगतान कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में,

किसानों को कम से कम 10 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा। बीमा कंपनी को प्रीमियम सब्सिडी राशि (50 प्रतिशत नाविबो द्वारा और 25 प्रतिशत सहभागी राज्यों द्वारा) आकलित करके अग्रिम रूप में विमोचित की जाएगी जो तिमाही/वार्षिक आधार पर भरी या समायोजित की जाएगी।

11. बीमा शर्तें

पोलिसी तीन वर्ष की अधिकतम अवधि में जारी की जाएगी जिसके लिए किसानों/उत्पादकों को दो वर्ष की पोलिसी प्रीमियम पर 7.5 प्रतिशत और तीन वर्ष की पोलिसी प्रीमियम पर 12.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि 31 मार्च तक योग्य सभी किसानों/उत्पादकों को योजना में शामिल कराया गया हो। तथापि जो किसान/उत्पादक 31 मार्च तक योजना में शामिल नहीं हुआ है वे बाद में शामिल हो सकता है और बीमा योजना में शामिल होने की तारीख के अगले महीने के पहले दिन से बीमा सुरक्षा लागू की जाएगी।

12. प्रतीक्षा अवधि

बीमा योजना में शामिल होकर 30 दिन के अंदर पेड़ की हानि/मृत्यु हो जाती है तो बीमा राशी अदा नहीं की जाएगी, लेकिन समय पर बीमा के नवीकरण के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी।

13. फ्रेंचाइस

बीमा के लिए दावा तभी निर्धारित किया जाएगा जब किसी सटे हुए क्षेत्र में बीमा किए पेड़ों की संख्या नीचे दिए विभिन्न स्लैबों में दर्शाए पेड़ों की संख्या से अधिक हो।

क्र.सं.	किसी सटे हुए क्षेत्र में बीमा किए पेड़ों की संख्या	फैंचाइस (नष्ट हुए पेड़)
1	<30	1
2	31-100	12
3	>100	3

14. बीमा सुरक्षा प्राप्त राज्य और क्षेत्र

सभी नारियल उत्पादक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के चयनित जिलों में यह बीमा योजना लागू की जाएगी।

किसानों/उत्पादकों द्वारा सटे हुए क्षेत्रों के सभी स्वस्थ एवं फलदायी नारियल पेड़ों का बीमा कराया जाएगा और क्लस्टर गाँवों के सभी फलदायी एवं स्वस्थ पेड़ों का बीमा करवाने का पूरा प्रयास नारियल विकास बोर्ड करेंगे।

15. बीमा पोलिसी जारी करना

बीमाकृत सभी किसानों/कृषकों को उनके प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपेक्षित प्रीमियम के अंतर्गत बीमा/सुरक्षा प्रमाणपत्र एआईसी द्वारा जारी

करेगा। नारियल विकास बोर्ड को बीमाकृत किसानों/उत्पादकों के समेकित जिलावार सूची एआईसी द्वारा हर तिमाही में प्रस्तुत की जाएगी।

16. दावा निर्धारित करने और निपटान की कार्यविधि

बीमाकृत व्यक्ति को नुकसान होने के 15 दिनों के अंदर ही बीमाकृत पेड़ों की क्षति के बारे में संगत ब्योरे के साथ बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसी (यानी बीमा कंपनी) ने अपने खुद के कॉल सेंटर स्थापित करने तक राज्य सरकार के कॉल सेंटरों के माध्यम से दावा सूचित किया जा सकता है। पेड़ की क्षति की सूचना मिलने के 15 दिनों के अंदर क्षति के कारण की सफाई देते हुए नारियल विकास बोर्ड/कृषि/बागवानी विभाग/राज्य कृषि विश्वविद्यालय, प्रत्येक जिले के लिए प्राधिकृत बीमा कंपनी, द्वारा क्षति निर्धारण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नामित एजेंसी के साथ नुकसान निर्धारित करने के लिए बीमा कंपनी अपने प्रतिनिधि को भी भेजेंगे। बीमा कंपनी दावे के सारे प्रासंगिक प्रमाणित विवरण कार्यालय में प्राप्त होने के एक महीने के अंदर बीमित किसान को दावाकृत रकम देगी। दावाकृत रकम नारियल विकास बोर्ड एवं संबंधित राज्यों से प्रीमियम सब्सिडी प्राप्त होने के आधार पर देगा।

एक बार पूरे दावे का भुगतान हो जाने पर बीमा समाप्त हो जाएगा। सीडीबी/राज्य सरकार के साथ पंजीकृत ताड़ारोहियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना परिरक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के साथ व्यवस्था की जा सकती है। बीमा कराने के लिए उपलब्ध ताड़ारोहियों की संख्या के आधार पर बीमा राशि और प्रीमियम तय की जाएगी।

17. निगरानी तंत्र

राज्य स्तरीय निगरानी समिति सभी कार्यान्वित राज्यों में सीडीबी, बीमा कंपनी और राज्य कृषि बागवानी विभाग के प्रतिनिधियों को मिलाकर योजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए गठित की जाएगी। इस समिति की प्रगति की समीक्षा करने और इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सुझाव देने हेतु तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होती है। कृषि मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा कार्यान्वित राज्यों, नारियल विकास बोर्ड और बीमा कंपनी की सहभागिता से योजना की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

18. बीमा प्रचार

सहभागी राज्य और सीडीबी जब भी चाहे किसानों/उत्पादकों के बीच बीमा योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने विस्तार तंत्र का उपयोग करके हर संभव प्रयास करेंगे। राज्य सरकार कृषि/बागवानी विभागों के सभी कार्यालयों को इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और साथ ही किसानों/उत्पादकों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करके बीमा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का परामर्श देंगी।

राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी)

संघटक III : नारियल पेड़ बीमा योजना (सीपीआईएस)

परिचालन दिशानिर्देश (सीपीआईएस)

1.एग्रिकल्चर इंश्योरेंस कंपनी (एआईसी) कृषि विभाग को एक मास्टर पोलिसी जारी करेगा, जिसके बाद प्रीमियम के साथ प्राप्त व्यक्तिगत प्रस्ताव के आधार पर प्रस्ताव के अनुसार सुरक्षा और समय-समय पर प्रस्तुत सूची पत्र भेज दिए जायेंगे।

2.योजना कार्यान्वित करने के नॉडल पाइंट के रूप में कृषि विभाग के कृषि भवन कार्य करेंगे।

3.अपेक्षित प्रीमियम राशि के साथ प्रस्ताव का फार्म यथावत भरकर कृषकों को अपने-अपने कृषि भवन में प्रस्तुत करना है।

4.इस बीमा योजना में केवल स्वस्थ फलदार पेड़ (पेड़ जो प्रति वर्ष 30 से अधिक नारियल देता है) शामिल हो सकते हैं।

5.सटे हुए क्षेत्र के सभी स्वस्थ पेड़ों का कृषक/किसान को बीमा करना है। दूसरे शब्दों में नारियल बागानों को आंशिक बीमे की अनुमति नहीं है।

6.कार्यान्वित कृषि भवन के कृषि अधिकारी किसानों को उचित रूप से प्रस्ताव भरने में और सही प्रीमियम तक पहुंचने में सहायता करेंगे। किसानों से विधिवत भरा और हस्ताक्षर किए प्रस्तावों के प्राप्त होने पर, कृषि अधिकारी उसकी जाँच करेंगे, और प्रस्ताव प्रपत्र के उचित सत्यापन के बाद किसान को विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित पावती-सह-रसीद जारी करेंगे।

7.किसान को यही दस्तावेज़ पूरी पोलिसी अवधि में बीमा का प्रमाण स्वरूप अपने पास सुरक्षित रखना होगा और आगे की कार्यवाई केलिए उसकी पावती-सह-रसीद नंबर प्रस्तुत किया जाना होगा।

8.प्रस्तावों को सूची पत्र में (दो प्रतियों में) कृषि अधिकारी संचित करेगा और हस्ताक्षरित मूल प्रति इंडिया एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम पर समाहित चेक/डीडी तथा सभी प्रस्तावों के साथ एआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक आधार पर (अगले महीने की 5 तारीख के पहले) प्रस्तुत करेंगे।

9.कृषि अधिकारी को यह सुनिश्चित करने में अत्यंत ध्यान देना है कि कृषि भवन में निर्धारित प्रीमियम के साथ संगृहित सारे प्रस्ताव किसी भूल – चूक के बिना भेजे गए हैं। समय पर एआईसी को एकत्रित प्रस्तावों और प्रीमियम के गैर-प्रेषण के मामले पर, एआईसी अधिकारी द्वारा एकत्रित ऐसे प्रस्तावों और प्रीमियम जो एआईसी को प्राप्त नहीं हुए हों किसी भी स्थिति में उन का दावा दायित्व को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होगा।

10.सूची पत्र के साथ संग्रत प्रस्ताव और प्रीमियम प्रपत्र प्राप्त होने पर पर एआईसी उनकी जाँच करेंगे और यदि अधिकतम प्रीमियम हो तो वापस किया जाएगा, और प्रीमियम में कमी हो तो उसे कृषि अधिकारी द्वारा एआईसी से रचना प्राप्त होते

ही संबंधित कृषक से बरामद किया जाएगा। एआईसी केवल पूर्ण प्रीमियम के प्राप्त होने पर ही ऐसे प्रस्तावों पर जोखिम उठायेंगे।

11. पोलिसी अवधि के दौरान बीमित जोखिमों के कारण बीमित पेड़ों का नुकसान हो जाए तो उसे तुरंत ही कृषि अधिकारी को और एआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में सूचित करना है और नुकसान होने की तारीख से 15 दिनों के अंतर कृषि भवन को विधिवत भरा दावा प्रपत्र प्रस्तुत करना है।

12. कृषि अधिकारी नुकसान की जाँच करेगा और निरीक्षण करके अपनी स्वीकार्यता प्रमाणित करेगा। दावा सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर एआईसी को विधिवत् प्रमाणित दावा प्रपत्र अग्रेषित करना है। जहाँ भी आवश्यकता पड़ने पर एआईसी के पेशेवर नुकसान निर्धारक/ एआईसी के अधिकारी को एआईसी अपने विवेक पर नुकसान के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।

13. कृषि अधिकारी से नुकसान के आकलन प्रमाणीकरण के साथ दावा प्रपत्र प्राप्त होने पर, एआईसी दावे पर कार्रवाई करेंगे और बीमाकृत के पते पर स्वीकार्य बीमित दावा राशि के चेक/डीडी पूरे प्रीमियम (सब्सिडी सहित) की प्राप्ति के अधीन होते हुए भेज देंगे।

14. एआईसी संबंधित जिलों में अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण और आवश्यक फार्म और प्रचार सामग्री प्रदान करेंगे।

15. कृषि अधिकारी से पूरा दावा दस्तावेजों के प्राप्त होने के एक महीने के अंदर सभी स्वीकार्य दावों को एआईसी निपटाने का प्रयास करेंगे।

16. एआईसी को योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार के कृषि विभाग अपने बजट में प्रस्तावित कृषि प्रीमियम सब्सिडी को अग्रिम स्वरूप जारी करेंगे।

17. एआईसी ने नारियल विकास बोर्ड से सब्सिडी के रूप में प्राप्त निधि की त्रैमासिक उपयोगिता का रिपोर्ट देंगे।

18. नारियल विकास बोर्ड प्रीमियम सब्सिडी के अपने हिस्से को पहले ही देने के सिवा योजना को यथोचित प्रचार भी देंगे।

19. सीडीबी क्लस्टरों से/बोर्ड के साथ पंजीकृत सीपीएस से किसानों की योजना में भर्त्ती करेंगे।

20. कृषि विभाग अपने जन संपर्क स्कंध सहित विस्तार तंत्र से योजना को लोकप्रिय बनाऐंगे।

21. यह उल्लेख किया जा सकता है कि योजना आयोग के निर्देशों के अनुसार योजना आबंटन का कम से कम 16.2% अनुसूचित जाति विशेष योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों/लाभभोगियों के लिए निर्धारित है। यह भी उल्लेखनीय है कि बजट आबंटन का कम से कम 30% महिला लाभार्थियों/किसानों के लिए निर्धारित किया गया है और यह भी मासिक प्रगति रिपोर्ट में केन्द्र सरकार को सूचित किया जाता है।

22.एआईसी, राज्य सरकार के कृषि/बागवानी विभाग और नारियल विकास बोर्ड को प्रत्येक हितधारक की जिम्मेदारियों/दायित्वों का उल्लेख करके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना है।

सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी

- विविध भाषाओं में प्रकाशनों की तैयारी तथा राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों को प्रकाशनों की तैयारी के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना।
- फिल्मों का निर्माण तथा प्रदर्शन और राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों को फिल्मों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना।
- प्रदर्शनियों और मेलाओं में भाग लेना।
- संगोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएं आयोजित करना।
- सर्वोत्तम नारियल किसानों, मास्टर कारीगरों, उद्योगपतियों, प्रक्रमणकर्ताओं और निर्यातकों को पुरस्कार देना।
- फसल तुड़ाई एवं पौधा संरक्षण में युवाओं को प्रशिक्षण देना
- वैज्ञानिक खेती और फसलोत्तर प्रक्रमण में कृषकों को प्रशिक्षण देना।
- नारियल आधारित दस्तकारियों के निर्माण में प्रशिक्षण देना।
- उत्पाद/मशीनरी/उपस्कर विकसित करने वाले सर्वोत्तम शोध कार्यकर्ता या कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार देना।
- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सह इलेक्ट्रोनिक डैटा प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करना।

मानव संसाधन विकास

- प्रबंधकीय एवं पर्यवेक्षी कार्मिकों की तकनीकी क्षमताएं सुधारने के लिए प्रशिक्षण देना।
- प्रौद्योगिकियों को समझने और मूल्यांकन करने में प्रशिक्षण और भेंट।

नारियल प्रौद्योगिकी मिशन

नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के तहत वित्तीय सहायता

नारियल विकास बोर्ड ने नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते है। नारियल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/ आधुनिकीकरण/विस्तार और मूल्यवर्धित नारियल आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भावी उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के तहत, मूल्यवर्धित नारियल उत्पादों के उत्पादन के लिए नारियल प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने हेतु परियोजना लागत की 25 प्रतिशत या अधिकतम 50.00 लाख रुपए की ऋण से जुड़ी पूँजी सहायिकी के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। मौजूदा प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए भी सहायता प्राप्त होगी। नारियल प्रसंस्करण इकाई की

स्थापना के लिए सहायता हेतु परियोजना परियोजना लागत का कम से कम 40% आवधिक उधार के रूप में उपलब्ध करके बैंक के ज़रिए प्रस्तुत की जानी चाहिए।

एगमार्क मानकों के साथ पैक्ड, ब्रेंडेड नारियल तेल, वर्जिन नारियल तेल (वीसीओ), शोषित नारियल पाउडर, नारियल चिप्स, स्नो बॉल डाब, नारियल दूध पाउडर, नारियल गुड़, नारियल क्रीम, सक्रियित कार्बन, नारियल पानी आधारित सिरका, खोपड़ी कोयला, डिब्बाबंद डाब पानी, लघु प्रसंस्कृत डाब, खोपड़ी पाउडर, खोपड़ी/लकड़ी आधारित हस्तशिल्प, खोपड़ा ड्रायर आदि के लिए सहायता दी जाएगी। नए और नवीन नारियल आधारित उत्पादों के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी, जिनकी व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियाँ हैं।

जनसंपर्क माध्यमों से, प्रदर्शनियों में भागीदारी/ सुपर बाजार में प्रदर्शन की सुविधा विकसित करने भाडे पर लेने, आकर्षक पैकेजिंग को अपनाने आदि के ज़रिए नारियल उत्पादों के बाज़ार को बढ़ावा देने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये और सहकारी संगठनों को 25 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इच्छुक उद्यमि निर्धारित प्रपत्र में अपने आवेदन परियोजना रिपोर्ट के साथ अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड, केरा भवन, कोची को भेज सकते हैं।

भारत में पारंपरिक राज्यों के नारियल बागों का पुनर्रोपण और पुनरुज्जीवन

यह पुराने, बूढ़े, अनुत्पादक और रोगग्रस्त पेड़ों को काट कर हटाने और गुणवत्तापूर्ण पौधों के पुनर्रोपण और एकीकृत प्रबंधन रीतियाँ अपनाकर मौजूदा बागानों के पुनरुज्जीवन से उत्पादकता में सुधार लाने की योजना है।

फ्रेंइस ऑफ कोकोनट ट्री (एफओसीटी)

पिछले कई सालों से केरल और अन्य नारियल उत्पादक राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में परंपरागत रूप से नारियल की तुड़ाई करने वालों की भारी कमी होने लगी हैं। नारियल उत्पादन के क्षेत्र में नारियल की तुड़ाई करने वालों की काफी अहम भूमिका है। पेड़ों से अधिक फसल प्राप्त होने और बाज़ार में तथा प्रक्रमण क्षेत्र को स्थायी रूप से फलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह ज़रूरी है कि समय - समय पर फलों की तुड़ाई की जाए। कई क्षेत्रों में, प्रवासी मजदूरों से किसान मदद मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो तुड़ाई करने में असमर्थ होने पर भी काम केलिए अधिक रकम लेते हैं। नारियल की तुड़ाई करने वाले पेशेवर लोगों की कमी की वजह से नारियल कृषकों की आय में काफी नुक्सान होता है। सामान्य तौर पर फलों की तुड़ाई 45-60 दिनों के अंतराल में होती है, वर्तमान में किसान तीन से चार महीने के अंतराल में ही फलों की तुड़ाई कर पाते हैं। इस पेशे से जुड़ी खतरे तथा काफी ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने की दिक्कत के कारण लोग इस पेशे से पीछे हट रहे थे इसलिए नारियल विकास बोर्ड ताड़ारोहण में बेरोज़गार युवाओं को

प्रशिक्षण दे रहा है। हाल ही में व्यक्तियों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा नारियल पेड़ों पर चढ़ने की विभिन्न तरह के मशीनों को विकसित किया गया है जो सुरक्षित और आसानी से पेड़ पर चढ़ने के लिए सहायक बताए गए हैं। लेकिन हाल ही में उठाए गए सभी प्रयासों के बावजूद भी, नारियल की तुड़ाई तथा पौधा संरक्षण कार्यों के लिए कुशल प्रशिक्षित ताड़ारोहियों की भारी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए, बोर्ड की योजना यह थी कि एक समूचे नारियल समुदाय की भलाई के लिए बृहत् प्रशिक्षण कार्यक्रम के ज़रिए 5000 बेरोज़गार युवाओं को नारियल पेड़ पर चढ़कर फलों की तुड़ाई करने तथा पौधा संरक्षण गतिविधियों में दक्षता और हौसला प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाये।

लक्ष्य

- नारियल पेड़ पर चढ़कर फलों की तुड़ाई करने तथा पौधा संरक्षण गतिविधियाँ करने केलिए "फ्रेंइस ऑफ कोकोनट ट्री" के नाम पर पेशेवर युवा लोगों का एक दल विकसित करना।
- बेरोजगार युवाओं के दल को नारियल उत्पादकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीकी कुशलता, उद्यमिता क्षमता, नेतृत्व गुण और विचार-विनिमय क्षमता विकसित करने में प्रशिक्षण देना।
- "फ्रेंइस ऑफ कोकोनट ट्री" के उत्तरदायित्व निभाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनमें विश्वास जगाना।
- नारियल खेती और पौधा संरक्षण गतिविधियों में ताड़ारोहियों की अनुपलब्धता की समस्या निपटाना।
- नारियल क्षेत्र के सतत विकास का समर्थन करने और युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर बनाने के लिए सही प्रौद्योगिकी उत्पन्न करना।

कार्यान्वयन की विधि

केरल के 10 प्रमुख नारियल उत्पादक जिलों में "फ्रेंइस ऑफ कोकोनट ट्री" के तहत कम से कम 5000 बेरोज़गार युवाओं को पहचानने, प्रशिक्षण देने और मार्ग दर्शन देने का प्रस्ताव है। संबंधित स्थानीय निकायों के कुटुम्बश्री इकाइयों, नारियल किसान समितियों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, क्लस्टरों, नारियल उत्पादक समितियों, नेहरू युवा केन्द्रों के अधीन कार्यरत युवा क्लबों, नाबार्ड के विकास वाहिनी वॉलंटियर क्लबों, प्राथमिक कृषि समितियों, नारियल कृषक सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता ग्रूपों के ज़रिए प्रशिक्षण के लिए युवाओं को चुनाया जा सकता है।

चयन का मानदंड

- 18-40 साल की आयु
- बेरोज़गार स्वस्थ व्यक्तियों को प्राथमिकता
- किसी भी विकलांगता से मुक्त

- कम से कम सातवीं की शिक्षा
- कम से कम 30% प्रशिक्षणार्थी महिलायें होनी हैं
- एक सप्ताह में (6 दिन) कम से कम 20 बैचों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा
- प्रशिक्षण आवासीय होगा और इसमें तकनीकी, प्रबंधकीय और व्यावहारिक सत्र भी शामिल होंगे

कार्यक्रम के विषय

1. नारियल पेड़ पर चढ़ने की तकनीक
2. नारियल की तुड़ाई प्रक्रियाएं तथा शिखर की सफाई संबंधित पहलुएं
3. छिड़काव और कीट नियंत्रण कार्यक्रम
4. परागण और संकरण तकनीकें
5. पौधा संरक्षण उपाय
6. डाब, परिपक्व फल और बीजफल की पहचान

7 नेतृत्व पटुता और विचार-विनिमय क्षमता का विकास

8. उद्यमिता विकास कुशलता
9. मितव्यय/बचत प्रबंधन

नीरा तकनीशियन

नारियल के क्षेत्र में नवीन 'ग्रीन कॉलर नौकरियाँ '

नीरा टैप करने केलिए पेड़ पर चढ़ने, सही प्रकार ज़ोर देकर बारंबार पुष्पगुच्छों को पीटने, स्वच्छ तरीके से पुष्पगुच्छों को काटने और उस पर कीटाणुनाशक लगाने, पुष्पगुच्छों को बाँधने आदि की तकनीकी जानकारी वाले कुशल व्यक्ति की आवश्यकता है। इसलिए नीरा और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों का उद्यम शुरू करने के लिए तत्काल आवश्यकता है नीरा तकनीशियनों का कुशल बल गठित करना।

नारियल विकास बोर्ड ने नीरा तकनीशियनों की कुशल दल विकसित करने की पहल की है। यह दो चरणों पर हासिल किया जाता है। पहले चरण पर नाविबो प्रौद्योगिकी संस्था (सीआईटी) में आयोजित प्रशिक्षण के माध्यम से पारंपरिक ताड़ी टैप्परों को नीरा मास्टर तकनीशियन बनाने पर ध्यान दिया जाता है। यह प्रशिक्षण दो हफ्ते का है। प्रशिक्षण के बाद ये मास्टर तकनीशियन कंपनियों और फेडरेशनों के स्तर पर इस काम में रुचि रखने वाले योग्य उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करते हैं। 42 दिनों के इस प्रशिक्षण की समयावधि 240 घंटे है जिसमें व्यावहारिक सत्र 191 घंटे, तकनीकी सत्र 29 घंटे और प्रबंधकीय सत्र 20 घंटे है। दो सप्ताह के बाद कामकाजी प्रशिक्षण (ओजेटी) में प्रशिक्षित उम्मीदवार नीरा तकनीशियन के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन करता है। ओजेटी के दौरान उम्मीदवारों को उनके द्वारा उत्पादित नीरा की रकम भी दी जाती है। 18 से 45 की आयु वाले कोई भी व्यक्ति चाहे उसका पेशा कोई भी हो इसमें भाग ले सकता है।

नारियल उत्पादक समिति (सीपीएस)

बोर्ड कम से कम 4000-5000 पेड़ों वाले संहत क्षेत्र में 40-100 नारियल किसानों के सहयोग से नारियल उत्पादक समितियाँ गठित करने की पहल कर रहा है। इसका लक्ष्य उत्पादकता सुधार, लागत में कमी , प्रभावकारी समूह विपणन तथा प्रक्रमण एवं उत्पाद विविधीकरण के ज़रिए किसानों का सामाजिक–आर्थिक उन्नयन है। पूँजी के लिए हरेक किसान के हिस्से का योगदान इकट्ठा करना भी प्रस्तावित है। सीपीएस प्रभावकारी बनाने के लिए एकमुश्त सहायता की तौर पर राज्य सरकार से समतुल्य इक्विटी योगदान माँगी जाएगी।

सीपीएस-संकल्प

किसानों को संगठित करने केलिए सब्सिडी रहित , जानकारी आधारित, किसान केंद्रीकृत योजना- किसानों का विकास - सुगमीकरण, मार्गदर्शन, परिपोषण सशक्तीकरण तथा अंत में टिकाऊ बनाना – समग्र समूह पद्धति - आधारभूत सुविधाओं का विकास - अपव्यय कम करना - आपूर्ति ॠंखला में गैर मध्यस्थता - उत्पाद विविधीकरण एवं मूल्य वर्धन - वर्धित उत्पादन, उत्पादकता-बाज़ार विस्तार

सीपीएस – कार्य पद्धति

संहत क्षेत्र के 40-100 किसानों के लिए किसान संगठन - प्रति सदस्य के कम से कम 10 फलदायी नारियल पेड़ हो- चेरिटबिल सोसाइटी एक्ट के अधीन पंजीकरण द्वारा वैधिक स्थिति प्राप्त - बोर्ड के साथ पंजीकरण - सभी समितियों के लिए सामान्य उपनियम

सीपीएस–कार्यकलाप

नियमित बैठकें तथा कार्यकलापों की परिचर्चा - सभी खेती साधनों का एकसाथ खरीद- श्रम आदि संसाधनों का प्रभावकारी एकत्रीकरण - सीपीएस के लिए उत्पादन तथा विपणन के लिए योजना बनाना - उत्पादन एवं विपणन में कार्यकलापों का एकीकरण - एक ही समय तुड़ाई करना - सीपीएस के स्तर पर छोटे पैमाने पर प्रसंस्करण - एपेक्स निकाय के साथ सीपीएस का नेटवर्किंग - उपोत्पादों का बेहतर उपयोग - प्रभावकारी लोजिस्टिक्स- ग्रामीण रोज़गार सृजन - किसानों के लिए वर्धित तथा टिकाऊ आय

सूचना अधिकार

नारियल विकास बोर्ड ने सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया है और विभाग की वेबसाइट पर सभी आवश्यक प्रणालियाँ और प्रक्रियायें पेश की हैं। बोर्ड ने सीपीआईओ के रूप में उप निदेशक श्री हेमचंद्रा को और सभी इकाई कार्यालयों के अधिकारियों को एपीआईओ और पारदर्शिता अधिकारी के रूप में श्री एम ए सेबस्टियन, अधीक्षक को नियुक्त किया है।

शिकायत तंत्र और निवारण की समय सीमा

शिकायतों की शीघ्रता से निवारण सुनिश्चित करने हेतु श्री आर ज्ञानदेवन, उप निदेशक नारियल विकास बोर्ड के शिकायत अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। लोग अपनी शिकायतों के साथ हर बुधवार सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच शिकायत अधिकारी से मिल सकते हैं। जहाँ तक लोगों की शिकायतों पर विचार करने की समयसीमा का संबंध हो, दो सप्ताह के भीतर उत्तर शिकायतकर्ता को भेजी जाएगी।

मार्गदर्शन तथा शिकायत अधिकारी की मदद के लिए 0484- 2376265, 2377267 पर संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त के अलावा, नारियल विकास बोर्ड से

संबंधित किसी भी जानकारी हमारे वेबसाइट http://www.coconutboard.nic.in पर उपलब्ध है।

इसके अलावा 'नागरिक प्राधिकार' की अपनी सेवाओं में सुधार करने और जनता की प्रतिक्रिया के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।